

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in  
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in  
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047  
0145-2425835  
0145-2425993

दिनांक:

क्रमांक प.1/प्रति6/चिकि.एसीपी/विविध.1/2018/

**आदेश**

प्रशासनिक विभाग जयपुर, के पत्र क्रमांक प.10(34) आयु./2011 दिनांक 08.05.2018 की अनुपालना में विभागान्तर्गत निम्नांकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को राजस्थान सिविल सर्विज (रिवाइज्ड पे.) रूल्स, 2008 के नियम 19 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14 एफ.डी नियम/2008 पी.टी.1 (4/08)/दिनांक 6-10-2008 एवं आदेश दिनांक 31-12-09 के अनुसरण में 10/20/30 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर व नियमित नियुक्ति की तिथि से निम्नानुसार एसीपी की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक/पिता/पति का नाम	योग्यता	नियमित नियुक्ति दिनांक	वेतनमान 2008 में 01.01.06/01.09.06 को प्राप्त वेतन ब्रेण्ड एवं ग्रेड वेतन क्रमांक	10 वर्ष पर स्वीकृत योग्य ग्रेड वेतन	20/30 वर्ष पर स्वीकृत योग्य ग्रेड वेतन
1	केदार प्रसाद शर्मा/ ओमप्रकाश व्यास राज.आयु.औष. आसलपुर-जयपुर ब सेवा. नि.दिनांक 30.04.2016	बी.ए.एम. एस	02-09-1985	PB-3 (15600-39100) GP-5400 (15)	10 वर्ष/पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है।	20 वर्ष/पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 30 YEAR/02-09-2015 PB-3 (15600-39100) GP-6800 (18)

**आगामी वेतन वृद्धि दिनांक नियमानुसार देय होगी।**

नोट :-

- उक्त कार्मिको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12-9-08 के पत्र 19 एवं आदेश दिनांक 6-10-08 के अनुसार संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जावे कि, कर्मचारी द्वारा पुनरिक्षित वेतनमान 2008 में ही वेतन प्राप्त किया जा रहा है एवं इनके विरुद्ध कोई विभागीय एवं फौजदारी जांच विचाराधीन नहीं है तथा नियमित वेतनवृद्धि मिल रही है। साथ ही इनकी सेवाये सन्तोषजनक रही है।
- उक्त आदेशो की प्रविष्टि अपने स्तर पर कार्मिक की सेवा पंजिका में कर प्रमाणित करावे।

(नीता विजय मिश्रा)  
उप विधि परामर्शी  
दिनांक: 9-5-18

क्रमांक प.1/प्रति6/चिकि.एसीपी/विविध.1/2018/ 2257-58  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर ब भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिक का शीघ्र सातवे वेतनमान में वेतनस्थिरीकरण करा पेंशन संशोधित करावे।
- उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को एस.बी.सी. रिट सं. 17169/2017 केदार प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के क्रम में।
- सामान्य-पत्रावली।

  
उप विधि परामर्शी